कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

श्रीमती सुशीला लोहिया, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरदारनगर जिला भीलवाड़ा जन्मतिथि 02.07.1963 का स्थानान्तरण कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना–स्था/2018 दिनांक 15.07.2018 द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीमगढ, पं0स0 राशमी जिला चित्तौड़गढ़ में किया गया।

उक्त आदेशों की पालना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरदारनगर जिला भीलवाड़ा से श्रीमती लोहिया को नवपदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण किये जाने हेतु दिनांक 27.07.2018 को कार्यमुक्त किया गया। श्रीमती लोहिया द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नही करने एवं स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, राशमी जिला चित्तौडगढ़ द्वारा कारण बताओं नोटिस दिनांक 20.11.2019 को रजिस्टर्ड डाक श्रीमती लोहिया को भिजवाया गया। श्रीमती लोहिया से उक्त नोटिस के क्रम में किसी प्रकार का प्रत्युत्तर एवं नवपदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण नही करने की स्थिति में विभाग द्वारा पुनः कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.12.2019 एवं 27.01.2020 जारी किये गये।

श्रीमती लोहिया द्वारा उक्त नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त भी नवपदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण नही करने पर मुख्य ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी, राशमी जिला चित्तौडगढ़ द्वारा सम्पूर्ण वस्तुस्थिति से निदेशालय बीकानेर को अवगत कराये जाने पर निदेशालय स्तर से श्रीमती लोहिया को नोटिस दिनांक 15.09.2020 जारी किया गया जिसे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, राशमी जिला चित्तौडगढ़ के मार्फत तामील भी करवाया गया।

श्रीमती लोहिया द्वारा निदेशालय स्तर से जारी नोटिस का भी किसी प्रकार प्रत्युत्तर नही देने एवं नवपदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण नही कर स्वैच्छा अनुपस्थित रहने पर विभाग द्वारा अंतिम प्रयास के रूप में स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योती दिनांक 17.10.2020 में नोटिस प्रकाशित करते हुए कर्तव्य पर उपस्थित होने हेतु श्रीमती लोहिया को पाबन्द किया गया। उक्त नोटिस एवं कार्यवाही पश्चात् भी श्रीमती सुशीला लोहिया आज दिनांक तक न तो स्थानान्तरित विद्यालय में उपस्थित हुई एवं ना ही किसी प्रकार का प्रत्युत्तर विभाग को प्रस्तुत किया।

अधौहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रकरण का गहनतापूर्वक चिन्तन, मनन एवं जांच पश्चात् यह पाया गया कि श्रीमती सुशीला लोहिया राजकीय सेवा करने की इच्छुक नहीं है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय व अन्य बनाम् मन्सूर अली खान (2000) SSC 629 में यह अवधारित किया गया है कि "If a person is absent beyond the precribed period for which leave of any kind can be granted, he should be treated to have resigned and ceased to be in service, in such a case, there is no need to hold an enquiry or to give any notice as it would count to useless formalities.

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस0बी0 सिविल याचिका संख्या 396/02 त्रिभुवन बल्लभ बनाम् राज्य सरकार व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 06.02.2003 द्वारा लम्बे समय तक स्वैच्छा से अनुपस्थिति को उचित नही माना गया है एवं इसे स्वैच्छा से सेवा का त्याग माना है। माननीय न्यायालय द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों में किसी भी प्रकार की जांच एवं नोटिस दिये जाने की औपचारिकताओं को पूरा करने की भी आवश्यकता नही बताई है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं निर्णयों के परिप्रेक्ष में श्रीमती सुशीला लोहिया के दिनांक 28.07.2018 से निरन्तर स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने के मध्यनजर राजस्थान सेवा नियम 86 (4) एवं वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.11.2017 के अनुसार 01 वर्ष से अधिक का स्वैच्छिक अनुपरिथति का प्रकरण होने के कारण सेवा परित्याग मानते हुए (DEEMED TO HAVE RESIGNED) श्रीमती सुशीला लोहिया तत्कालीन प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरदारनगर जिला भीलवाड़ा स्थानान्तरित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीमगढ पं0स0 राशमी जिला चित्तौडगढ को राज्य सेवा से एतद् द्वारा निष्कासित (Removal from service) किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/मा/संस्था/ए–4/सुशीला लोहिया/2017

दिंनाक : २२.१२.२०२०

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एंव पालनार्थ प्रस्तुत है :–

1. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) शासन सचिवालय जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) स्कुल शिक्षा विभाग, अजमेर/उदयपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, भीलवाड़ा/चित्तौडगढ को भेजकर लेख है कि तामील करवाकर प्राप्ति रसीद भिजवाना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति राशमी जिला चित्तौडगढ
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
6. प्रधानाचार्य, राजकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरदार नगर भीलवाड़ा
7. प्रधानाचार्य, राजकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीमगढ पं0स0 राशमी (चित्तौडगढ)
8. श्रीमती सुशीला लोहिया, तत्कालीन प्रधानाचार्य, ए–168, राधाकृष्णन् कॉलोनी, भीलवाड़ा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
10. संस्थापन–बी–1/2 कार्यालय हाजा

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर